भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 410

(02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण उद्यमिता मिशन

410. श्री मनीष जायसवालः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि झारखंड राज्य में हजारीबाग और आस-पास के ब्लॉकों में महिला स्वयं सहायता समूह 'ग्रामीण उद्यमिता मिशन ' के तहत आजीविका आधारित उद्यमों जैसे शहद प्रसंस्करण , मशरूम उत्पादन और डेयरी इकाइयों के संचालन में रुचि रखते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ऐसे समूहों को विशेष वित्तपोषण , प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता और बाजार से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करने के लिए किसी विशिष्ट योजना पर विचार कर रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार गांवों में लघु स्तर की सतत रोजगार सृजित करने के लिए इस दिशा में एक नई प्रायोगिक परियोजना शुरू करने का है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत, झारखंड राज्य आजीविका मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के समन्वय से, हजारीबाग और आस-पास के ब्लॉकों में महिला स्वयं सहायता समूहों को शहद प्रसंस्करण, मशरूम उत्पादन और डेयरी इकाइयों जैसे आजीविका आधारित उद्यमों के लिए सहायता प्रदान

करता है। झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत इन गतिविधियों के बारे में विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) और (ग): डीएवाई-एनआरएलएम के तहत , मंत्रालय स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए विशेष वित्तपोषण , क्षमता-निर्माण, तकनीकी सहायता और बाजार लिंकेज कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। डीएवाई-एनआरएलएम 28 राज्यों और 6 संघ शासित क्षेत्रों के 745 जिलों में 7156 ब्लॉकों को कवर करता है और 90.90 लाख स्वयं सहायता समूहों में 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवारों को कवर करता है। बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, मिशन मांग के आधार पर बेहतर निष्पादन करने वाले राज्यों को अतिरिक्त किश्तें भी प्रदान करता है।

यह मिशन कृषि-पारिस्थितिक पद्धतियों, बेहतर पशुधन प्रबंधन और वैज्ञानिक नॉन-टिंबर वन उपज (एनटीएफपी) खेती के माध्यम से 4.80 करोड़ महिला किसानों के लिए आजीविका विविधीकरण की सहायता करता है। 3.98 लाख कृषि, पशु, वन, मत्स्य और उद्योग सखियों का एक कैडर अंतिम छोर तक तकनीकी सहायता सुनिश्चित करता है, जबकि कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) कृषि मशीनरी तक पहुंच बढ़ाते हैं। बांस , शहद, मत्स्य पालन, मसाले और मोरिंगा जैसी प्रमुख मूल्य श्रृंखलाओं का केंद्रित विकास किया जाता है और प्रशिक्षित कृषि सखियों के माध्यम से प्राकृतिक खेती का विस्तार होता है।

गैर-कृषि आजीविका के लिए , स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) महिलाओं और उनके परिवारों को गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना और उनका विस्तार करने में सक्षम बनाता है। एसवीईपी ब्लॉक स्तर पर काम करता है , 3.95 लाख उद्यमों की सहायता करता है और 31 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 491 ब्लॉकों में काम कर रहा है।

डीएवाई-एनआरएलएम स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों , सामुदायिक संवर्गों, पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के सदस्यों और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के कर्मचारियों के लिए संस्था निर्माण, वित्तीय समावेशन , उद्यम विकास और कृषि एवं गैर-कृषि आजीविका के क्षेत्रों में संरचित और आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण पर प्रमुखता से बल देता है। क्षमता-निर्माण के ये प्रयास स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) , ग्राम संगठनों (वीओ), क्लस्टर स्तर के महासंघों (सीएलएफ), उत्पादक समूहों (पीजी) और उत्पादक उद्यमों (पीई) को मजबूत करते हैं , जिससे वे मजबूत और बाजार-संबद्ध संगठनों के रूप में विकसित होने में सक्षम होते हैं।

बाजार तक पहुंच के लिए, डीएवाई-एनआरएलएम सशक्त, बाजार-संबद्ध संगठनों को बढ़ावा देने और ब्रांडिंग पर जोर देने , डिजिटल सक्षमता तथा सरस और आजीविका मेलों जैसे राष्ट्रीय ट्रेडमार्क की पहुंच को बढ़ाकर एसएचजी महिलाओं के लिए अवसरों को सुदृढ़ बनाता है। ज्ञान, अनुभवात्मक और अभिसरण मंडपों एवं डिजिटल मेला ऐप जैसे नवाचारों के साथ 5 राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों सहित 50 से अधिक सरस मेलों का आयोजन किया गया है।

राज्यों ने 25 से अधिक विशिष्ट एसएचजी उत्पाद ब्रांडों का विकास किया है और वे क्षेत्रीय और जिला स्तर की प्रदर्शनियों के साथ-साथ *सरस आजीविका गैलरी* जैसे रिटेल आउटलेटों का संचालन करते हैं।

ई-सरस और प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से डिजीटल मार्केटिंग बढ़ती है, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स पर क्षमता-निर्माण और लक्षित संचार अभियानों के माध्यम बाजार में उत्पादों की दृश्यता में वृद्धि होती है।

****

'ग्रामीण उद्यमिता मिशन' के संबंध में दिनांक 02.12.2025 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित अतारांकित प्रश्न संख्या 410 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्त वर्ष 2024 – 25 में मधुमक्खी लाभार्थी पालक					
क्र. सं.	ब्लॉक	जमा किए गए फॉर्म की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	पूर्ण प्रशिक्षण	प्राप्त बॉक्स की संख्या
1	बरकागांव	10	6	6	20 बॉक्स
2	दारू	16	9	9	20 बॉक्स
3	काटकामडाग	2	2	2	20 बॉक्स
कुल		**28**	**17**	**17**	

वित्त वर्ष 2025 – 26 में मधुमक्खी लाभार्थी पालक					
क्र. सं.	ब्लॉक	जमा किए गए फॉर्म की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	पूर्ण प्रशिक्षण	प्राप्त बॉक्स की संख्या
1	बरही	4	4	4	20 बॉक्स
2	बिष्णुगढ़	6	6	6	20 बॉक्स
3	चौपारण	5	0	0	0
4	दारू	4	4	4	20 बॉक्स
5	इचाक	2	2	2	20 बॉक्स
6	सदर	2	0	0	0
7	कटकमसांडी	16	8	8	20 बॉक्स
कुल		**39**	**24**	**24**	

वित्त वर्ष 2025 – 26 में मशरूम उत्पादक लाभार्थी					
क्र. सं.	ब्लॉक	जमा किए गए फॉर्म की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	पूर्ण प्रशिक्षण	प्राप्त किट की संख्या
1	दाडी	10	10	0	0
2	बरकागांव	240	240	0	0

*****